संख्या- ए. 20011/30/2018- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, के.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 07 सितम्बर, 2021

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14 सितम्बर 2021 को राजभाषा प्रतिज्ञा के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशालय के दिनांक 02 सितम्बर 2021 के परिपत्र संख्या ए. 20011/30/2018-हिंदी का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत निदेशालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा-2021 के दौरान 14 सितम्बर 2021 को निदेशालय मुख्यालय सहित सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

2. सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 14 सितम्बर हिंदी दिवस- 2021 के अवसर पर राजभाषा प्रतिज्ञा लेने का निर्देश गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव (राजभाषा) द्वारा जारी किया गया है ताकि हम संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही उन्होंने राजभाषा प्रतिज्ञा की प्रति भी भेजी है।

3. उपरोक्त के संदर्भ में निदेशालय के सभी अधिकारियों, अनुभाग अधिकारियों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अनुभाग/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के कार्मिकों को उनके कार्य स्थल पर दिनांक 14 सितम्बर 2021 को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलवाएं और इस संबध में की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को सूचित कर दें। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त राजभाषा प्रतिज्ञा की प्रति संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

07.09.2021
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
फोन नम्बर- 011-24361588

प्रतिलिपि.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : कृपया सादर सूचनार्थ
2. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक
3. सभी अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.
4. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
5. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक: विभाग की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से।
8. कार्यालय प्रति /नोटिस बोर्ड

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा- हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे| हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे|

जय राजभाषा ! जय हिंद !

--